



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-1086/MP/13/2022-ESDW

दिनांक: 04.01.2023

सेवा में,

श्री प्रियंक मिश्रा,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला धार,
कलेक्टर कार्यालय,
धार - 454001, मध्य प्रदेश
ई-मेल : dmdhar@nic.in


विषय: मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति जमीनी स्तर पर अमलिकरण कर कुक्षी तहसील के निसरपुर ब्लॉक के ग्राम चंदन खेड़ी (नवपाटी) पिपरीपुरा, डेहर एवं आसपास के लोगों को साहूकार से छुटकारा से दिलाने के संबंध में श्री किशन, पिता हरला डावर, निवासी ग्राम- चंदनखेड़ी (नवपाटी), पोस्ट- कोणदा, ब्लॉक निसरपुर, तहसील कुक्षी, जिला धार मध्य प्रदेश का दिनांक 11.10.2022 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री किशन से दिनांक 11.10.2022 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

9/


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री किशन,
पिता हरला डावर,
निवासी ग्राम- चंदनखेड़ी (नवपाटी),
पोस्ट- कोणदा, ब्लॉक निसरपुर,
तहसील कुक्षी, जिला धार,
मध्य प्रदेश

जारी दिनांक 08
ISSUED
5/1/23